आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

19|5

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

आदेश

वाद संख्या–सी0आर0एम0–03 / 2001–02

सियाराम प्रसाद

बनाम

बिहार सरकार

अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा ने अपने पत्रांक 402, दिनांक 23.07.2001 द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 11.08.2000 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, बगहा–2 के द्वारा बाल्मीकिनगर पंचायत के टंकी बाजार स्थित सियाराम प्रसाद वल्द ठाकुर प्रसाद टंकी बाजार के जांच के क्रम में 45 बोरा रसायनिक खाद जो प्रति बोरा 50 किलो का था बगैर अनुज्ञप्ति के कारोबार करने तथा भण्डार एवं मूल्य का प्रदर्शन सूचनापट्ट पर नही किये जाने के कारण उक्त रसायनिक खाद को उपस्थित गवाहों के समक्ष जप्ती सूची तैयार कर जप्त कर लिया गया था एवं जप्त रसायनिक खाद को सुरक्षित रखने हेतु श्री महेन्द्र कुमार केडिया को उनके जिम्मेनामा पर सौंप दिया गया एवं विक्रेता सियाराम प्रसाद के विरूद्ध बाल्मीकिनगर थाना में अवैध रूप से खाद का कारोबार करने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी, बगहा–2 के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–7 एवं बिहार आवश्यक वस्तु (मूल्य एवं भण्डार प्रदर्शन) आदेश 1977 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी जिसका काण्ड संख्या–33 / 2000 है। अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा उक्त प्राथमिकी में जप्त 45 बोरा में कुल–22 क्विंटल 50किलो रसायनिक खाद को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(a) के तहत अधिग्रहण करने हेतु अनुशंसा की है।

अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात विक्रेता सियाराम प्रसाद को सूचना निर्गत कर कारण पृच्छा मांगी गयी कि क्यों नही उक्त जप्त रसायनिक खाद को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(a) के अंतर्गत अधिग्रहित कर लिया जाए।

विक्रेता द्वारा कारण पृच्छा दाखिल की गयी है। उनका कहना है कि वे बिल्कुल निर्दोष है एवं ग्रामीण राजनिति के चलते ही झूठी केस में

प्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

फसाया गया है। उनका यह भी कहना है कि वे एक अच्छे कृषक है और खाद का संग्रहण किया गया था वह अपनी खेती के लिए ही किया गया था। उनका यह भी कहना है कि खाद का उपयोग खेती के उदेश्य से वर्षापात के मौसम में करते है।। इस तरह उनका कहना है कि वे व्यापार के उदेश्य से नही किये थें। अतः उन्होनें अपने उपर लगे आरोप को समाप्त करने हेतु अनुरोध किया है।

दोनों पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के प्रतिवेदन के साथ संलग्न प्रखंड विकास पदाधिकारी, बगहा–2 द्वारा बाल्मीकिनगर थाना में दर्ज प्राथमिकी की छाया प्रति भी संलग्न की गयी हैं । उसमें लिखा गया है कि जांच के क्रम में सियाराम प्रसाद पिता–स्व0 ठाकुर प्रसाद सा0–टंकी बाजार थाना–बाल्मीकिनगर जो टंकी बाजार बाल्मीकिनगर में अवस्थित है, की दुकान में ओसवाल यूरिया 12बोरा, इफको यूरिया–22 बोरा एवं डी0ए0पी0--11 बोरा कुल--45 बोरे खाद पाये गये। दुकानदार सियाराम प्रसाद से बिक्री की अनुज्ञप्ति की मांग करने पर जांच हेतु उपलब्ध नही कराया जा सका तथा उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास रसायनिक खाद बिक्री करने हेतु कोई अनुज्ञप्ति नही है। खाद का भण्डार एवं उसके बिक्री करने का मूल्य का प्रदर्शन सूचनापट्ट पर नही पाया गया।

दोनों पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विक्रेता सियाराम प्रसाद कालाबाजारी के नियत से ही विभिन्न तरह के रसायनिक खाद का संग्रहण किया था और इसके लिए उन्होनें अनुज्ञप्ति भी नही ली थी। आवेदक का यह कहना कि उन्होनें अपनी खेती करने के उदेश्य से रसायनिक खाद का संग्रहण किया था लेकिन इसके पुष्टि में कोई साक्ष्य दाखिल नही किया है एवं खाध का उनकी दुकान से बरामद होना भी खेती के उदेश्य से रखा जाना प्रमाणित नही करता है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के अनुशंसा के आलोक में उक्त प्राथमिकी में जप्त 45 बोरा में कुल–22 क्विंटल 50 कि0ग्रा0 रसायनिक खाद को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 1955 धारा 6(a) के तहत अधिग्रहित किया जाता है।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बगहा–2 को आदेश दिया जाता है कि जप्त खाद को बाजार मूल्य पर बिक्री कर उससे प्राप्त राशि को चालान के माध्यम से बगहा उप कोषागार में जमाकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में भेजें। लेखापित एवं संशोधित। 19/5 जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 19/5 जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	829/... 26/5/14